**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 4952**

**उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण**

**4952. श्री माथेश्वरन वी. एस.:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए 8 लाख रूपये प्रति वर्ष की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए 8 लाख रूपये प्रति वर्ष की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा किन घटकों पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए, वार्षिक आय सीमा तय करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क) से (ग):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के आरक्षण के लिए जांच के पश्चात वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8.00 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। आरक्षण के संबंध में परिवार में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। आय में सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, प्रोफेशनल आदि से आय शामिल थी।

*****